कार्यालय नगर परिषद टिमरनी जिला – हरदा (म.प्र)

दूरभाष क्रमांक – 07573–230239
E-Mail ID – cmotimarni@mpurban.gov.in

क्र 334../विद्युत/2026

टिमरनी, दिनांक 8/5/26

//प्रथम ई–निविदा आमंत्रण सूचना//

नगर परिषद टिमरनी द्वारा निम्नानुसार कार्य हेतु ऑनलाईन दर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेवसाईट पर दिनांक 11.05.2026 से 25.05.2026 तक ऑनलाईन क्रय किये जा सकते है। निविदा वेवसाईट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध पर लागू जी.एस.टी. छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवायें/सामग्री पर शासन द्वारा स्वीकृत जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जायेगा।

क्रमांक	कार्य का नाम	मद	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य
1	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत सामग्री बजाज/हेवल्स/अन्य समकक्ष कंपनियों की वार्षिक दर प्रस्तुत कर सामग्री प्रदाय करने का कार्य।	न.पा.निधि	990000/–	9900/–	2000/–

KEY-DATES AS BELOW

(1) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 11.05.2026 प्रातः 10.00 बजे से।
(2) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.05.2026 सायं 18.00 बजे तक।
(3) निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा ए एवं बी खोलने की तिथि 28.05.2026 प्रातः 11.00 बजे से।

शर्ते :–

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक की होगी।
2. सामग्री प्रदाय के दौरान टूट फूट, खराबी एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी इस हेतु कोई भी दावा स्वीकार नही किया जावेगा।
3. निविदा में अधिकृत व्यक्ति/लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/पंजीकृत संस्था भाग ले सकते है।
4. अमानत राशि ऑनलाईन भुगतान द्वारा/डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा कराना होगा।
5. दर जी.एस.टी. छोडकर प्रस्तुत करनी होगी सामग्री प्रदाय के समय प्रचलित जी.एस.टी. का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
6. निविदाकार को पेन नंबर, जी.एस.टी. नंबर, खाता क्रमांक, वैध मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी., निविदाकार का पता देना अनिवार्य होगा।
7. समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा प्रसारित नियम शर्ते यथा संशोधन स्वीकार करनी होगी।
8. वित्तीय बिड नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही खोली जावेगी।
9. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र हरदा होगा।
10. निविदा स्वीकृत अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार निकाय के पास सुरक्षित होगा।
11. अन्य शर्ते विद्युत शाखा में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
12. अनुबंध हेतु सूचना पत्र जारी होने से 15 दिवस में अनुबंध करना होगा अन्यथा ई.एम.डी. जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।
13. निकाय द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार सक्षम स्वीकृति उपरांत आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय की जावेगी जिसमें किसी भी प्रकार का दावे आपत्ती मान्य नही की जावेगी।
14. निविदा में किसी भी प्रकार के संसोधन की स्थिति में संसोधन का प्रकाशन केवल www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। संसोधन के संबंध में समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नही दी जावेगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी
जिला हरदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyavrat Bakoriya
Date: 2026.05.08 17:52:35 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner